दावा स्थाई निषेधाज्ञा   प्र०सं० 48/2023
बाबूलाल बनाम हीरालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादपत्र पर उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातों व वादपत्र के अवलोकन के आधार पर वादीगण बाद दावा स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 07.4.25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

ठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

वाद संख्या–48/2023

बाबूलाल वगै0 बनाम हीरालाल वगै0

दावा स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक निर्णय–07.04.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा वादी बाबूलाल पुत्र छोट्या जाति प्रजापत निवासी ग्राम भांवता तहसील बांदीकुई द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 04.05.2023 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम भांवता पटवार हल्का भांवता तहसील बांदीकुई की भूमि खतौनी संख्या नई 115 पुरानी 114 के ख0 नं0 1818/699 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 1820/700 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 वार्षिक लागानी 1.44 रूपये व भूमि खतौनी संख्या नई 162 पुरानी 159 आराजी ख0 नं0 1819/699 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 1821/700 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 वार्षिक लगानी 1.44 रूपये व भूमि खतौनी संख्या नई 92 पुरानी 86 के ख0 नं0 1816/699 रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 1817/699 रकबा 0.04 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0 वार्षिक लगानी 1.44 रूपये स्थित है जिसे आगे चलकर वाद भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया में खाता संख्या नया 115 पुराना 114 का सम्पूर्ण रकबा वादी सुख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज चला आ रहा है व खाता संख्या 162 पुराना 159 का सम्पूर्ण रकबा वादी संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है तथा खाता संख्या नया 92 पुराना 86 में वादी संख्या 03 लगायत 07 का प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी चला आ रहा है। इस अनुसार ही वादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिससे किसी अन्य का किसी प्रकार का कोई सम्बंध सरोकार लेना देना नही है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 01 हीरालाल द्वारा भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा बर 01 की तरफ दिशा पश्चिम की और स्थित खाम डौल जो वादीगण व प्रतिवादीगण की मलाती है। को प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दिनांक 24/04/2023 को जेसीबी से डौल के धे हिस्से को तोडकर करीब 07 फिट गहराई व करीब 10 फिट लम्बाई, चौडाई की भूमि से ट्टी उठाकर गहरा कर दिया । जिसपर वादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा मौके पर जाकर तेवादी संख्या 01 को खाम डौल को तोडकर मिट्टी उठाने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या द्वारा वादीगण संख्या 01 लगायत 03 को गाली गलौच कर झगडा फसाद करने पर तैयार गया। और प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 11 को भी मौके पर बुला लिया और झगडा साद करने पर उतारू हो गये बडी मुश्किल से आस पडौस के लोगो के समझाने पर तेवादीगण मौके से जेसीबी लेकर गये और जाते जाते धमकी देकर गये की आईन्दा इस ाम डौल को तोडकर व गहरी खाई बनाकर मिट्टी उँठाउँगा जिसका प्रतिवादीगण को किसी कार का कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण की उक्त खाम डौल को प्रतिवादीगण द्वारा डकर व गहरी खाई बनाने से बरसात का पानी गहरी खाई में भरेगा तथा उससे वादीगण भूमि की मिट्टी कटकर गहरी खाई में आ जावेगी जिससे वादीगण की खातेदारी भूमि में व दीगण के पुख्ता मकान में मजाहमत पैदा होगी तथा वादीगण को नुकसाने अजीम नाकाबिले यून व तकमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ती किसी कदर नही हो सकेगी व वादीगण व तिवादीगण के मध्य गैर जरूरी किस्म के मुकदमात फरीकेन चल पडेगे जिससे बाय से र्बादी वादीगण होगी।

प्रतिवादीगण को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित रमाया जावे की प्रतिवादीगण स्वंय अथवा उनके मददगारान, नौकर, ऐजेन्ट भूमि मुतदाविया र्णित पैरा नम्बर 01 खसरा नम्बर 1818/699, 1820/700, 1821/700, 1816/699 स्थित ाम भांवता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादीगण की भूमि मुतदाविया के तरफ पश्चिम की ओर स्थित खाम डौल को तोडकर उसके पास गहरा गड्डा नहीं खोदे व वादीगण की डौल को तोडकर वादीगण की भूमि परे अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने से ादीगण के कब्जा काश्त में व वादी संख्या 01 के पुख्ता मकान में किसी भी प्रकार से मजाहमत पैदा करने से व भूमि मुतदाविया व खाम डौल की मौके की स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिये सदैव के लिये प्रतिबन्धित फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस की । प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 09 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण सं. व 11 बावजूद जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण सं. 10 व के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 09 की से जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब बंद किया गया। साक्ष्यवादी शपथ पत्र बाबूलाल पत पुत्र छोट्या एवं जगदीश पुत्र पून्या के पेश किये गये। दस्तावेजात प्रदर्श डाले गये। वादी वकील द्वारा जिरह नहीं करने पर जिरह बंद की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में त किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बंद की गयी। वादपत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गई। उभयपक्ष वकील ने बहस ाद को अंतिम डिक्री किये जाने बाबत् सहमति प्रकट की। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर न किया। वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात प्रदर्श–1 राजस्व जमाबंदी संवत 6–79 ग्राम भॉवता खाता सं. नया 115 पुराना 114, प्रदर्श–2 राजस्व जमाबंदी संवत 6–79 ग्राम भॉवता खाता सं. नया 162 पुराना 159, प्रदर्श–3 राजस्व जमाबंदी संवत 6–79 ग्राम भॉवता खाता सं. नया 92 पुराना 86, प्रदर्श–4 खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी ग्राम वता, प्रदर्श–5 खसरा नक्शा एवं जमाबन्दी ग्राम भॉवता का अवलोकन किया गया। वादीगण पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं। रिकार्डेड खातेदार को अपनी तेदारी भूमि में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किये जाने के आर.टी.एक्ट 55 के तहत अधिकारात प्राप्त हैं। उपरोक्त विवेचन से वादीगण वाद स्वीकार किया जाना चेत प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व लग्न दस्तावेजातो के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद दावा स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार या जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किया जाता है कि दग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1818/699, 1820/700, 1821/700, 1816/699 स्थित ग्राम वता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में वादीगण की भूमि मुतदाविया के तरफ पश्चिम की र स्थित खाम डौल को तोडकर उसके पास गहरा गड्ढा नहीं खोदे व वादीगण की डौल को डकर वादीगण की भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने की कोशिश नहीं करे, दीगण के कब्जा काश्त में व वादी संख्या 01 के पुख्ता मकान में किसी भी प्रकार से

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

हमत पैदा नहीं करे व भूमि मुतदाविया व खाम डौल की मौके की स्थिति को यथावत
रखे। निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले
ालय में सुनाया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी
पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

07.04.25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner